



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय  
Integrated Regional Office  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड  
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001  
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in  
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285  
0177-2652541  
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी./177

दिनांक: 22/07/2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

विषय: Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/0 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017)

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-3565/2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 24.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/0 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को साँपे जाने के बाद ही वन भूमि साँपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
  - (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभाषित वन भूमि पर अर्थात् 8.00 हे0 Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehardhar, Range Mandi, Forest Division Mandi, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
  - (ख) राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
  - (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
  - (घ) राज्य सरकार, निर्देशित एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 1.21 (ii) के अनुसार FCA,1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।

4. प्रतिपूरक बनीकरण की शर्तों पर, यदि आवश्यक है, तो प्रतिपूरक बनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक बनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्वयंसेवा की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरक बनीकरण की लागत के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक बनीकरण 10 वर्षों तक अनुसंधान एवं संवर्धन किया जाएगा। इस योजना में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्राधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शीघ्र वर्तमान मूल्य:

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 14 नवंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता आधिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शीघ्र वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन शर्तों के शीघ्र वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता आधिकरण से वसूल जाएगा। प्रयोक्ता आधिकरण इसका एक रकम प्रस्तुत करेगा।

6. एकआर, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एक.सी.ए. के तहत शर्तों के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस विषय लिये जाने के उपरान्त ही वदनुसार अपन स्तर पर वन शर्तों के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।

8. प्रयोक्ता आधिकरण आर्द्धआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर धारों की संख्या बढ़ाएगी।

9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

10. प्रयोक्ता आधिकरण प्रत्यावर्तित वन शर्तों में प्लॉटों की कटौत का न्यूनतम रकम जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 21 प्लॉटों में से केवल 06 प्लॉटों से अधिक नहीं होगी एवं प्लॉट राज्य वन विभाग के सर्वेक्षक पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता आधिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास प्लॉटों की कटौत की लागत जमा की जाएगी।

11. आसपास के क्षेत्र के वनस्थलियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।

12. परियोजना के तहत प्रयोक्ता आधिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राधानों के अनुसार, प्रयोक्ता आधिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वाज्ञप्ति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन शर्तों एवं आस-पास की शर्तों पर कोई भी अतिक्रमण स्थगित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता आधिकरण द्वारा मजदूरों को राशियाँ वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा बैंक/विकास बैंक के किसी अन्य कर्तव्यी शीत से पर्याप्त लकड़ी, विद्युत, बैंक/विकास बैंक इंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित वन मंडल अधिकारियों के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन शर्तों की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. प्लॉट द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings आंकित हों।

18. वन शर्तों का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।


19. केंद्र सरकार की पूर्वाज्ञप्ति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन शर्तों की परिस्थिति में किसी भी अन्य एंजिनियरिंग, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

20. इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में

22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

  
(सत्य प्रकाश नेगी)  
क्षेत्रीय अधिकारी 7/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. वन मण्डल अधिकारी, मण्डी वन मण्डल, जिला-मण्डी, हि0प्र0।
4. आदेश पत्रावली।

(सत्य प्रकाश नेगी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

